

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 65/2023

सुप्यारकंवर पत्नि सुरजनसिंह जाति राजपुत निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु

वादीनी

बनाम

1. लुणाराम पुत्र धर्मराम जाति जाट निवासी कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
2. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।


उपस्थित :-

मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीनी

-: निर्णय :-

दिनांक:- 12-12-2024 -

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक के संयुक्त खातेदारी कब्जा काशत उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 676/602 छः सौ छिहतर बट्टा छः सौ दौ तादादी 0.1012 जीरो दशमलव एक जीरो एक दौ हेक्टेयर वाके रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है जिसमें वादीनी का 5/6 पांच बट्टा छः हिस्सा है। जो मौका पर खेत की पूर्वी साईड में हिस्सा पांति में आई हुई है। वादगत भूमि का मौके पर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 एक की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने-अपने हिस्से की भूमि को काशत करते आ रहे है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक का खान-पान, रहन-सहन अलग-अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित कस्वाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीनी को कानूनी



उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चूरु)

अधिकार प्राप्त है। वादीनी ने दिनांक 5.3.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत का विधिवत विभाजन करवाकर अपने-अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक साफ इनकार हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ने वादीनी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीनी को बेदखल करेगा तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगा, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गया तो वादीनी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक को वर्जित कराये कि वोह वादीनी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधाये रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवाये। वादगत खेत वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीनी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक की ऐलानीयां धमकियां से वादीनी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 2 दौ के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।



उपरोक्त अधिकारी  
बीदासर (चूरु)

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहती है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः वादीनी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कातर छोटी खसरा संख्या 676/602 तादादी 0.1012 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 5/6 हिस्सा भूमि है। जो मौका पर वादगत खसरा संख्या 676/602 में पूर्वी साईड में हिस्सा पांति में आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से वादीनी की 5/6 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक.....12-12-2024.....को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमें इत्दादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

सुप्यारकंवर बनाम लुणाराम आदि

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।


मुकदमा नं:- 65/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्ई पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कातर छोटी खसरा संख्या 676/602 तादादी 0.1012 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी की 5/6 हिस्सा भूमि है। जो मौका पर वादगत खसरा संख्या 676/602 में पूर्वी साईड में हिस्सा पांति में आई हुई है। तहसीलदार बीदासर से वादीनी की 5/6 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-12-2024



दस्तखत उपखण्ड अधिकारी  
ओहदा बीदासर (चरु)

मुद्ई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह राबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।



उपखण्ड अधिकारी  
बीदासर (चरु)